(b) if so, whether Government propose to formulate a policy on national level to provide relief and rehabilitation to these people; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) There has been, in recent years instances of people migrants to different parts of the country due to terrorist violence. Such movements have been more pronounced in the case of Punjab and Jammu and Kashmir. The Government has been providing monthly/daily cash allowances, rations and other basic facilities for migrant families. Government is of the view that these migrants will be able to return to their homes with the improvement of situation in the affected areas. As such permanent rehabilitation of such people in other places is not contemplated.

कार सेवकों के संबंध में सशस्त्र बलों द्वारा कार्रवाई

4102. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने वाले कार सेवकों के एक समूह को उस स्थल से हटाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा कार्यवाही करवानी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो कार सेवकों को उस स्थल से हटाने में कितना समय लगा;

(ग) क्या यह सच है कि कारसेवकों को विवादित ढांचे के स्थल से हटाए जाने के बाद वहां कुछ मूर्तियां स्थापित ई पाई गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सशस्त्र बल तैनात किए जाने से मूर्तियों की पूजा अर्चना में बाधा पड़ी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के इर्द-गिर्द 24 नवम्बर, 1992 को ही विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात करने के लिए एहतियात बरता था जिससे कि राज्य सरकार को विवादित ढांचे की सुरक्षा तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन बलों को तैनात करने की आवश्यकता होने पर ये बल उन्हें अल्प सूचना पर उपलब्ध कराए जा सकें।

दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे पर हमले के बारे में 12.10 बजे अपराहन सूचना प्राप्त होने पर तत्काल केन्द्रीय गृह सचिव तथा गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों से सम्पर्क किया और उनसे आग्रह किया कि नियंत्रण से बाहर जाती हुई स्थिति को देखते हुए उन्हें अर्द्ध सैनिक बलों का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्य के अधिकारियों ने सूचित किया कि वे इस बारे में मुख्य मंत्री के आदेश प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ एकाधिक बार टेलीफोन पर बात की। 12.45 बजे अपराह न राज्य प्राधिकारियों ने कुछ बलों की मांग की और ये बल उन्हें तुरन्त ही उपलब्ध करा दिए गए। तथापि, जब बल फैजाबाद से अयोध्या जा रहे थे तो उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों ने यह कहकर लौटा दिया कि उनके आदेश हैं कि बल प्रयोग न किया जाए; बलों को करीब 2.15 बजे अपराह न कैम्प में वापस लौटना पड़ा। स्थानीय पुलिस द्वारा बिलकुल भी सुरक्षा उपलब्ध न कराए जाने तथा

केन्द्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय बलों को घटना स्थल पर न पहुंचने देने के परिणामस्वरूप राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को पूर्ण रूप से गिरा दिया गया।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में स्थिति काफी नाजुक थी क्योंकि 2 लाख से अधिक कार सेवक अभी भी अयोध्या में मौजूद थे और उनमें से अनेक विद्रोहपूर्ण अथवा उत्तेजित मनः स्थिति में थे।

इस स्थिति को देखते हुए, यह निश्चय किया गया कि 7 और 8 दिसम्बर, 1992 की रात को बल वहां भेजे जाएं जिससे कि कम से कम बल प्रयोग हो।

तदनुसार कार्रवाई की गई और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद क्षेत्र शीघ्रता से अधिकार में ले लिया गया।

यह बताया गया कि ढांचा गिराए जाने के दौरान राम लला की मूर्तियों को हटा लिया गया था; बाद में इन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया था तथा वहां पूजा और भजन कीर्तन किए जाने लगे।

6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं के बाद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर सहित अयोध्या में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेध आज्ञा लागू कर दी गई थी और तदनुसार गतिविधियों को विनियमित किया जा रहा है।

Cheating by TSR Drivers in Delhi

4103. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "7 Russians cheated of £ 300" which appeared in the Statesman dated the 27th October, 1992;

(b) if so, what steps are being taken to book the culprits; and

(c) what steps are proposed to be taken to check to menace of TSR drivers in front of the important hotels in the capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) Two cases vide FIR Nos. 741 dated 23.10.92 and 746 dated 24-10-92 under sections 420/34 IPC were registered at Police Station, Cannaught Place, New Delhi and 8 accused persons arrested.

(c) Foot|mobile patrolling has been intensified around important Hotels in Delhi

उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिये शिक्षण-केन्द्र

4104. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन बाल श्रमिकों के लिये संस्थाओं द्वारा कोई शिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं और शिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें और अधिक उपयोगी बनाने के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश